

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति देवयानी (R.A.S.)

उनवान

महादेव प्रसाद पुत्र स्व० भूसा जाति माली, निवासी ग्राम बंदोल(सामोद), तहसील चौमूं
जिला जयपुर(राज०)

-वादी-

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र जगदीश चन्द
2. मु० प्रभाती देवी उर्फ नन्द कंवर पत्नी जगदीश चन्द
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सामोद, तह चौमूं, जिला जयपुर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व० सीताराम अग्रवाल जाति महाजन निवासी प्लॉट नं० 11, पृथ्वीराज
मार्ग, जयपुर।
4. बाबूलाल पुत्र सेडू (दौराने दावा फौत)
4/1. जमना देवी पत्नी बाबुलाल
4/2. कालूराम पुत्र बाबुलाल
4/3. जितेन्द्र पुत्र बाबुलाल
4/4. सीमा पुत्री बाबुलाल
5. भैरी देवी पत्नी सेडू
समस्त जाति माली, निवासी ग्राम बंदोल (सामोद) तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज०)
7. उपपंजियक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

वाद बाबत घोषणा दुरुस्थ इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज० टिनेन्सी एक्ट)

मुकदमा नं०:-98/06

निर्णय दिनांक :- 30.10. 2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकिल वादी व वकील प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमति देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

मुताबिक वादपत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि के स्वत्व का निर्धारण वादी के पक्ष में अपेक्ष न्यायालयों के द्वारा होने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें
बससत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 30.10.2019 को जारी किया गया।



दस्तखत
ओहदा.....सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	4	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1	अर्जी के लिए स्टाम्प 2
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील		
जोड़	5	जोड़ 5



Dey
 सहायक कलेक्टर
 (फास्ट ट्रेक)
 चौमू (जयपुर)

